



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.11.2022

1-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अवैध अस्लाह से फायर करने वाला वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 बन्दूक 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 07/08.11.2022 को मु0अ0स0 231/2022 धारा 147/148/149/323/307/504/34 भादवि के अंतर्गत अवैध अस्लाह से फायर करने वाले वांछित अभियुक्त शाहरुख पुत्र नजरु उर्फ नजर मोहम्मद निवासी ग्राम तिर्थली थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर को तिरथली चौराहे के पास से पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 315 बोर बन्दूक मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण:

शाहरुख पुत्र नजरु उर्फ नजर मोहम्मद निवासी ग्राम तिर्थली थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधि इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0स0 091/2022 धारा 392,411 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0 143/2022 धारा392,411 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0स0 144/2022 धारा 307 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0स0 145/2022 धारा 414 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0स0 147/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 6.मु0अ0स0 231/2022 धारा 147/148/149/323/307/504 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 7.मु0अ0स0 233/2022 धारा 307 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 8.मु0अ0स0 234/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1. 01 बन्दूक 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर



2-एसटीएफ नोएडा व थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13.300 किग्रा गांजा, 01 लाख 10 हजार रूपये, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद।

दिनांक 07.11.2022 को एसटीएफ नोएडा व थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्तों 1. बन्टी उर्फ रवि शंकर पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम बडौदा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर 2. अमान पुत्र इलियास निवासी म0न0 146/13 श्याम नगर थाना थाना लिसाडी गेट मेरठ को सेक्टर 54 टी प्वाइंट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 13.300 किग्रा गांजा, गांजा बेचकर प्राप्त किये 01 लाख 10 हजार रूपये नकद व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. बन्टी उर्फ रवि शंकर पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम बडौदा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर
- 2-अमान पुत्र इलियास निवासी म0न0 146/13 श्याम नगर थाना थाना लिसाडी गेट मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 443/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त बन्टी उर्फ रवि शंकर

- 1.मु0अ0सं0 220/2020 धारा 302 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
- 2.मु0अ0सं0 232/2020 धारा 307 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
- 3.मु0अ0सं0 233/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
- 4.मु0अ0सं0 341/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
- 5.मु0अ0सं0 623/2019 धारा 366 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर
- 6.मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बुढाना मुजफ्फरनगर
- 7.मु0अ0सं0 348/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पिलखुवा जनपद हापुड
- 8.मु0अ0सं0 344/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर -24 नोएडा

अभियुक्त आमान पुत्र इलियास

- 1.मु0अ0सं0 360/2022 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 143/2022 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 348/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पिलखुवा जनपद हापुड
- 4.मु0अ0सं0 344/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर -24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण :

1. 13.300 किग्रा गांजा
2. गांजा बेचकर प्राप्त किये 01 लाख 10 हजार रूपये नकद
3. घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार यूपी 16 बीजे 6013



3-साइबर सेल ग्रेटर नोएडा व थाना दादरी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये लेप्स हुयी इंश्योरेंस पालिसी का सैटलमेंट कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 01 महिला अभियुक्ता सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 मोबाइल फोन, 06 सिमकार्ड, 04 एटीएम कार्ड, 05 डायरी, 04 डाटाशीट, 02 मोहर (01 मोहर जीबीआईसी, दूसरी मोहर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस), 02 आधार कार्ड बरामद।

दिनांक 08.11.2022 को साइबर सेल ग्रेटर नोएडा व थाना दादरी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये लेप्स हुयी इंश्योरेंस पालिसी का सैटलमेंट करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुये 01 महिला अभियुक्ता प्रियंका पत्नी दीपक निवासी तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद एवं 04 अभियुक्तों 1. दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद 2. जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र लटोरी मल निवासी शिवा कालोनी गांधीपार्क अलीगढ 3. विशाल त्यागी पुत्र बिजेन्द्र निवासी गांव मोहगलीपुर थाना चरथावल मुजफ्फरनगर 4. हरेन्द्र पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम लाडपुर थाना बीबीनगर बुलंद शहर को बीलकट दादरी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 08 मोबाइल फोन, 06 सिमकार्ड, 04 एटीएम कार्ड, 05 डायरी, 04 डाटाशीट, 02 मोहर (01 मोहर जीबीआईसी, दूसरी मोहर मिनिस्ट्री फाइनेंस), 02 आधार कार्ड बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. महिला अभियुक्ता प्रियंका पत्नी दीपक निवासी तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद
2. दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी तिबडा रोड मोदीनगर गाजियाबाद
3. जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र लटोरी मल निवासी शिवा कालोनी गांधीपार्क अलीगढ
4. विशाल त्यागी पुत्र बिजेन्द्र निवासी गांव मोहगलीपुर थाना चरथावल मुजफ्फरनगर

4. हरेन्द्र पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम लाडपुर थाना बीबीनगर बुलंद शहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0-396/22 धारा 420,467,471,120 बी,34 भादवि,66 आईटी एक्ट थाना दादरी

बरामदगी का विवरण-

08 मोबाइल फोन 06 सिमकार्ड, 04 एटीएम कार्ड, 05 डायरी, 04 डाटाशीट, 02 मोहर (01 मोहर जीबीआईसी, दूसरी मोहर मिनिस्ट्री फाइनेंस), 02 आधार कार्ड



4- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा ऑनलाईन शादी का झांसा देकर महिलाओ से शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अवैध रूप से धन की उगाई करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध रूप से उगाये गये पैसो से खरीदा गया ब्रान्डेड सामान व गाडी बरामद।

दिनांक 08.11.2022 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री कमल चतुर्वेदी निवासी ग्राम खोडा आरसी 410 गाजियाबाद को हरिदर्शन बर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास महिला से शादी का झूठा झांसा देकर ठगे गये पैसो से खरीदे गये सामान,गाडी व आभुषण बरामद किये गये है ।

थाना सेक्टर 24 पर पंजीकृत मु0अ0स0 442/22 धारा 376/420/406 भादवि के अंतर्गत पीडिता जो कि अविवाहित है, जीवनसाथी डॉट काम पर शादी के लिये जीनवसाथी तलाश कर रही थी वही पर उसको अभियुक्त राहुल चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री कमल चतुर्वेदी निवासी ग्राम खोडा आरसी 410 गाजियाबाद मिला जिसने अपने आप को एयरटेल कम्पनी मे एचआर के पद पर नौकरी करना बताया और अपनी सैलरी 35 लाख सालाना बतायी। पीडिता उसकी बातों मे आ गयी और आपस मे मोबाइल पर चेट करने लगे तथा अभियुक्त पीडिता से मिलने लगा तथा पीडिता को शादी का झूठा झांसा देकर पीडिता के साथ शारीरिक सम्बंध बनाये तथा अपनी बहन को कैसर होने की झूठी बात बताकर पीडिता से लगभग 30 लाख रूपये धोखाधडी से हडप लिये और कुछ दिन बाद अपना फोन न0 बंद कर लिया। पीडिता को जब धोखाधडी का पता चला तो अभियुक्त राहुल चतुर्वेदी के विरुद्ध मु0अ0स0 442/22 धारा 376/420/406 भादवि पंजीकृत कराया ।

अभियुक्त जीवन साथी डॉट काम पर अपनी फर्जी आई0डी0 बनाकर भोली भाली लडकियो को शादी का झूठा झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण कर पैसे ठगने का अपराध करता है।

अभियुक्त का विवरण:

राहुल चतुर्वेदी पुत्र स्व० श्री कमल चतुर्वेदी निवासी ग्राम खोडा आरसी 410 गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०स० 442/22 धारा 376/420/406 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. एक कार HONDA CITY न० UK 06 IT 4004
2. एक सोने का मंगल सूत्र , एक जोड़ी हीरे जड़े कान के टोप्स, एक जोड़ी हाथों के कडे
3. एक LED HAIR कम्पनी की , एक LED SAMSUNG कम्पनी , एक SAMSUNG की SMART WATCH एक ALEXA स्पीकर , एक UV STERILIZER SAMSUNG कम्पनी , एक गिलंडर मशीन
4. चादी की प्लेट , गिलास, चम्मच , कटोरी , दीपक , घन्टी आदि
5. चार लगजरी सूटकेस ब्रान्डीड कम्पनी के
6. ब्रान्डेड जूते व कपडे



5-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा, लडकी को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से धक्का देकर हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास करने वाला हत्यारा (प्रेमी) अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.11.2022 को थाना सेक्टर 49 पर ग्राम होशियारपुर के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक युवती उम्र- 22 वर्ष मेन मार्केट होशियारपुर में बिल्डिंग से कूदने की सूचना दी गयी , उक्त सूचना पर तत्काल थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर देखा तो मौके पर उपस्थित परिजनों द्वारा बताया गया कि गौरव नाम का युवक जोकि उक्त लड़की से पूर्व से संपर्क में था ने मारने की नियत से धक्का दिया है तथा मृतका के शव को लेकर भाग गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी गौरव पुत्र बृहमपाल निवासी नया गांव थाना कोतवाली शहर बिजनौर' को शव सहित गाजियाबाद के पास से

हिरासत में लिया गया है। परिजन की तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर 49 पर एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त गौरव ने बताया कि हम दोनो 02 वर्ष पूर्व एक ही एलआइसी के आफिस में कार्य करते थे जहां हम दोनो ने लगातार 05 वर्ष तक एक साथ कार्य किया था तथा दोनो एक साथ लिव इन में रहते थे। पूर्व में किसी बात को लेकर दोनो में विवाद हो गया था जिससे लडकी कई माह से लडके से बात नहीं करना चाहती थी परंतु अभियुक्त मृतका से मिलने का प्रयास करता रहता था। आज भी दोनो ग्राम होशियार पुर की शर्मा मार्केट की बीमा कम्पनी के आफिस में दोनो के बीच कहा सुनी हो गयी जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने मृतका को तीसरी मंजिल के छज्जे से धक्का दे दिया।

अभियुक्त का विवरण:

गौरव पुत्र बृहमपाल निवासी नया गांव थाना कोतवाली शहर बिजनौर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 366/22 धारा 302,201भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

